न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 104/2022 तारीख रजू:– 09.05.2022

जीसीएमएस नं0 2022/211

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	केदार पुत्र पतराम	जाति जाट निवासी–खेड़ीहैवत
2.	कल्ला पुत्र पतराम	
3.	गोरधन पुत्र पतराम	तहसील–सूरौठ, जिला–करौली
4.	गिरदेश पुत्री पतराम	
5.	रामपति बेवा पतराम	राजस्थान ———————–वादीगण

बनाम

1.	सोहनसिंह पुत्र दरयाब	समस्त जाति जाट, निवासी–खेडीहैवत
2.	जितेन्द्र पुत्र विजयसिंह	तहसील–सूरौठ, जिला–करौली
3.	राजेश पुत्र रमेश	
4.	रघुवीर पुत्र रमेश	तहसील–सूरौठ, जिला–करौली
5.	भूदेव पुत्र राजपाल	
6.	फतेहसिंह पुत्र राजपाल	राजस्थान ——————प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1.श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट वादीगण

2. श्री मुरारी लाल करसौलिया एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :–09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया

है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर, खसरा नम्बर 1707, रकवा 61 ऐयर, खसरा नम्बर 1708, रकवा 52 ऐयर, कुल किता 3. कुल रकवा 1.53 है० स्थित ग्राम खेडीहैवत, तहसील सूरौठ स्थित है।

वाद पत्र के मद नं 02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है, जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र पर संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण की आराजीयात के पास ही प्रतिवादीगण की काश्त की भूमि है। जिसके कारण प्रतिवादीगण की नीयत हमेशा ही वादीगण की आराजीयात की भूमि को हड़पने की रही है, क्योंकि वादीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादीगण पैसे वाले, लडाकू व मुठमर्द व्यक्ति हैं। जो आए दिन गरीब काश्तकार लोगों की भूमियों को हड़पने के प्रयास में रहते हैं और इसी उद्देश्य से व वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र पर कब्जा करने की फिराक में आए दिन वादीगण को हैरान व परेशान करते रहते हैं।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 22.06.2021 को पटवारी हल्का के मौके पर आने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि तेरी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण आमादा फसाद हो गये, जिस पर वादी कल्लाराम ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्रीमान के यहां धारा 107, 116 (3) व 151 जा०फौ० के तहत दिनांक 28.06.2021 को इस्तगासा पेश किया। जिसे जांच हेतु थाना हाजा पर भेज दिया गया, जिसके कारण प्रतिवादीगण, वादीगण से रंजिश रखते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.05.2022 को दिन के 10 बजे का है। वादीगण अपनी आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र में आगामी फसल की बुवाई हेतु साफसफाई कर रहे थे तो इतने में प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और वादीगण से कहा कि यहां से भाग जाओ, इस जमीन पर हम कब्जा करेंगे तो वादीगण ने कहा कि ये जमीन तो हमारी खातेदारी में है, तुम्हारा इस जमीन से क्या लेनादेना तो इस पर सभी प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और कहा कि जमीन पर आये तो तुम्हारे हाथ–पांव तोड़ देंगे और जमीन पर हम कब्जा करके रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमसे बने सो कर लेना। प्रतिवादीगण समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 03. 05.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा मुतजिक्रा मद नम्बर 05 वाद पत्र में वर्णित धमकी वादीगण को बमुकाम ग्राम खेड़ीहैवत देने से अंदर हदूद आरजी अदालत वाला पैदा हुआ। दावा हाजा अंदर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत बिलमुक्ता न्याय शुल्क 2 रुपये पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतदाविया, सकूनत फरीकेन व पैदा होने विनाय दावा श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में पैदा होने से श्रीमान को उक्त दावा हाजा सुनने व फैसल करने का अधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं09 (अ) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस अम्र की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर, खसरा नम्बर 1707, रकवा 61 ऐयर, खसरा नम्बर 1708, रकवा 52 ऐयर, कुल किता 3. कुल रकवा 1.53 है० स्थित ग्राम खेडीहैवत, तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा वादीगण

की उपरोक्त आराजीयात पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादीगण को उक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे।

वाद पत्र के मद नं09 (ब) में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद अदालत वादी साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

वाद पत्र के मद नं09 (स) में दर्ज किया है कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.06.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 15.09.2025 को प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श–1 पेश की है तथा जुवानी सहादत में वादी सं02 कल्ला ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2073–76 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ की खातेदारी केदार पुत्र पतराम हि0 1/20, केदार पुत्र पतराम हि0 1/4, कल्ला पुत्र पतराम हि0 1/4, कल्ला पुत्र पतराम हि0 1/20, गिरदेश पुत्री पतराम हि0 1/20, गोरधन पुत्र पतराम हि0 1/4, गोरधन पुत्र पतराम 1/20, रामपति पत्नि स्व. पतराम हि0 1/20 वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरौठ के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ के वादीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा वादीगण की उपरोक्त आराजीयात पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादीगण को उक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली